R.M.M Law College Saharanpur

(1)

Naresh Anand (Lecturer)

LL.B Part - IInd

Paper - IX (Moot Courts)

मूट कोर्ट शाखा को संचालित करने की विधि

मूट कोर्ट अनेक प्रकार के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक की उपयोगिता होने के कारण प्रत्येक विधि महाविद्यालय में इसका संचालन होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी न्यायालय की प्रक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। विधि के छात्र को अधिवक्ताओं के समक्ष विधि के बिन्दु पर बहस करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। मूट कोर्ट का संचालन इस प्रकार होना चाहिए, की विधि के छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान हो सके।

मूट संचालित करने की विधि:-

काल्पनिक विधिक वाद:-

मूट कोर्ट को संचालित करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि काल्पनिक वाद तैयार करना। इसमें छात्रों को दो अलग-अलग

छात्रों में बाँटकर दोनों को अलग-अलग पक्षकारों के रूप में वाद करना चाहिए। यह सिविल या दाण्डिक किसी भी प्रकार का वाद हो सकता है। प्रत्येक वाद में छात्रों को वाद का संचालन इसी प्रकार से करना चाहिए जैसा कोई अधिवक्ता अपना मुवक्किल का वाद संचालित करता है।

दिन प्रतिदिन की दशा में उन्हें इनकी प्रार्थना प्रारूपित करने कहा जाना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास के दौरान अभ्यासकर्ता को वाद-पत्रों के तैयार करने लिखित कथनों तथा परिवादों के लेखन आदि का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सिविल वादों में वाद पत्र के पेश किये जाने से प्रारम्भ होता है। वाद पत्र में उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद की इच्छा की जाती है, वादी प्रतिवादी का नाम विवरण एवं निवास स्थान वाद हेतुकों को स्पष्ट करने के तथ्य वांछित अनुतोष, क्षेत्राधिकार तथा न्यायालय शुल्क आदि वाद के विषय वस्तु मुख्य रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। जहाँ पर वाद का विषय वस्तु स्थावर सम्पत्ति हो वाद पत्र में उसका स्पष्ट विवरण होना चाहिए।

वाद-पत्र के दाखिल किये जाने के पश्चात पक्षकारों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

Scanned with CamScanner

जिसे लिखित कथन कहा जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 में लिखित कथनों के संबंध में नियम अन्तर्निहित हैं। आ. 8 नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी समन (तामील) के या ऐसे समय के भीतर जो 90 न्यायालय अनुमति प्रदान करे और यदि न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश करेगा। लिखित कथनों को पेश किये जाने के पूर्व वाद पत्र की सफलता पूर्वक जाँच की जानी चाहिए।

वास्तव में वाद पत्र की प्रस्तुति करना एक कला है। वाद पत्र को छोटे छोटे पैराग्राफों में बाँटा जाना चाहिए। घटना तारीखों के अनुक्रम का अनुसरण करना चाहिए।

वाद पर बहस करना वाद को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अनुभव किसी व्यक्ति को इस ढंग से वाद बहस करने की कला समझने में मजबूत बनाता है जिससे न्यायाधीश में विश्वास उत्पन्न किया जा सके। बहस की तैयारी के लिए बहस करने वाले व्यक्ति को पक्षकार के अभिवचनों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे साक्ष्यों द्वारा दिये गये तथ्यों, साक्ष्यों के स्वीकृतियों एवं बयानों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बहस के दौरान केवल बिन्दुओं पर तब तक जोर देना चाहिए

Scanned with CamScanner

जब तक न्यायालय उनसे समझ न जाए।

इस प्रकार मूट कोर्ट के संचालित करने की रीति अत्यंत महत्व की है। यह बहस करने वाले व्यक्तियों को वकालत की कला का ज्ञान प्राप्त कराती है। इसमें तर्कों को सिद्ध किया जाना चाहिए तथा बहसकर्ताओं को इस निमित्त तैयार करना, व्यावहारिक वाद में अन्वेषित विधि के प्रश्न पर ही बहस करनी चाहिए। काल्पनिक वाद होने के कारण साक्षियों की परीक्षा तथा प्रति परीक्षा अत्यंत कठिन कार्य होगा। बहसकर्ताओं को अंक प्रदान करने में प्रस्तुतीकरण के कौशल को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।